

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक:प.1(86)वन/2007

जयपुर, दिनांक 02-05-2012

परिपत्र


विषय :- वन भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही।

किसी व्यक्ति, व्यक्तियों या संस्था द्वारा बिना सक्षम अधिकारी से प्रदत्त अधिकारों के वन भूमि का अधिभोग में लेना या उसका अधिभोग में लेना जारी रखना राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 26 एवं 33 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 सपठित धारा-3ए के तहत अपराधिक कृत्य है। ऐसे अतिक्रमी (अतिचारी) को उपरोक्त अधिनियमों के अधीन अपराधिक कृत्य के लिए इस बाबत अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा दंडित कराये जाने की कार्यवाही करनी होती है।

उपरोक्त दंडात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त वन भूमि पर से अतिचारी का अतिक्रमण भी हटाया जावे इसके लिए अपेक्षित एवं आवश्यक है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-34A के अंतर्गत संक्षेपतः कार्यवाही कर अतिचारी को बेदखल किया जावे। इन दोनों ही अधिनियम में कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्र का सहायक वन संरक्षक प्राधिकृत है। परन्तु राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत सक्षम अधिकारियों (सहायक वन संरक्षकों) द्वारा अपने दायित्वों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप बेदखली हेतु संक्षेपतः कार्यवाही के प्रकरणों के निराकरण में महीनों/वर्षों की अवधि लग रही है।

राज्य सरकार के संज्ञान में यह भी आया है कि अतिक्रमण के प्रकरणों में कतिपय सहायक वन संरक्षकों का मंतव्य यह है कि उनका दायित्व केवल प्रकरण में निर्णय प्रचलित करने तक ही सीमित है। ऐसा मंतव्य रखने वाले अधिकारी स्पष्ट रूप से धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा-34ए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का सम्यक अध्ययन नहीं कर रहे हैं। दोनों ही अधिनियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही को अंतिम स्तर तक निस्तारित करने का है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी सहायक वन संरक्षक के लापरवाहीपूर्वक कर्तव्य निष्पादन के कारण वन भूमि का गैर वन भूमि के रूप में प्रयोग होता है तो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-34ए के अंतर्गत उसके लिए निर्धारित विधिक दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं करने के कारण उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित होजाती है। साथ ही यदि यह पाया जाता है कि किसी सहायक वन संरक्षक के संज्ञान में आने के बाद भी वन भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के गैर वन भूमि के रूप में उपयोग जारी रहा है तो उस अधिकारी का यह कृत्य वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-3ए के तहत अपराध का बढावा देने (abet करने) की परिभाषा में आता है एवं इसके लिए वह अधिकारी धारा-3बी के अधीन दंडित किया जा सकता है।




वन भूमियों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए यह नितांत आवश्यक है कि इस बाबत नियुक्त अधिकारी एवं वन्य कर्मी निष्ठापूर्वक कर्तव्यशीलता का प्रदर्शन करते हुए अपने विधिक दायित्वों का विधिक भावना के अनुसार समयबद्धता के साथ निर्वहन करें एवं पर्यवेक्षक अधिकारी समय-समय पर निरीक्षणों एवं समीक्षात्मक बैठकों के माध्यम से वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें। यह भी अपेक्षित है कि अतिक्रमण हटाने के कार्य निष्पादन में विलम्ब करते पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करायें एवं अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जावे।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का युक्तिसंगत ढंग से कियान्वयन हो एवं उपरोक्त वर्णित विधिक प्रावधानों का प्रभावी तरीके से उपयोग करते हुए वन भूमि एवं वन्यजीवों के संरक्षण की दृष्टि से अतिचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे इसके लिए यह अपेक्षित है कि :-

1. वन प्रबंधन से जुड़े किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण संज्ञान में आते हैं उसकी सूचना संबंधित सहायक वन संरक्षक को तत्काल दी जावे एवं सहायक वन संरक्षक ऐसी सूचना उपलब्ध होते ही यदि प्रकरण वन्यजीव अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से संबंधित है धारा 34ए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत एवं यदि अन्य श्रेणी के वन क्षेत्र से संबंधित है तो धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करायें।
2. अतिक्रमण संबंधी जानकारी स्वयं को प्राप्त होने पर भी सहायक वन संरक्षक प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करायें।
3. वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण सहायक वन संरक्षक के संज्ञान में आते ही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में आने वाले प्रकरणों को धारा-34ए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन दर्ज करें एवं अन्य वन क्षेत्रों के प्रकरणों को धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन दर्ज करें।
4. अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज करने के तत्काल बाद सहायक वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि :-

(क). यदि प्रकरण धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन दर्ज है तो अधिनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुसार संक्षेपतः जांच की प्रक्रिया अपनाई जावे एवं अतिक्रमी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में अधिकतम दो माह की अवधि में निर्णय पारित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संपन्न कर दी जाती है।

(ख). यदि प्रकरण धारा-34ए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन दर्ज है तो अधिनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुसार संक्षेपतः जांच प्रक्रिया अपनाते हुए अधिकतम दो माह की अवधि में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संपन्न कर दी जाती है।

  
2/5/12

5. सहायक वन संरक्षक द्वारा अतिक्रमण संबंधी प्रकरण में निर्णय प्रचलित करते हुए यदि प्रकरण में अतिक्रमण होना निर्धारित किया जाता है तो उसके द्वारा तुरन्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कराई जावे। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में उसको क्षेत्र के क्षेत्रीय एवं अन्य वन्य कर्मियों द्वारा पूर्ण निष्ठा से अपेक्षित सहयोग दिया जावे।
6. मंडल वन अधिकारी द्वारा मासिक बैठक में वन भूमि पर अतिक्रमणों के मामलों की नियमित समीक्षा की जावे एवं सहायक वन संरक्षक कार्यालयों का निरीक्षण करते समय भी इस विषय को प्राथमिकता के साथ देखा जावे। यह भी देखा जावे कि क्षेत्रीय एवं अन्य वन्य कर्मियों ने सहायक वन संरक्षक को सहयोग देने में या उसके निर्देशों की अनुपालना में लापरवाही तो नहीं बरती है। यदि लापरवाही की शिकायत आती है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
7. मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक या मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी जब भी क्षेत्रीय दौरे पर जावें या निरीक्षण करें तो वन भूमि के अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा अवश्य करें एवं उनके निरीक्षण प्रतिवेदन में यह अंकित किया जाता है कि वन भूमि के अतिक्रमणों की समीक्षा के दौरान उनके द्वारा क्या तथ्य पाये गये।
8. मुख्य वन संरक्षक अपने कार्यक्षेत्र में अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने वाले अधिकारियों / कार्मिकों को प्रोत्साहित करने एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों / कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की स्थायी व्यवस्था स्थापित करें।

पुराने लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु 15 जून, 2012 तक का समय दिया जाता है। तदन्तर प्रकरण लंबित पाये जाने पर संबंधित सहायक वन संरक्षण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित किया जावे कि :-


- (i) सहायक वन संरक्षकों द्वारा नये प्रकरणों को विधिक भावना के अनुसार संक्षेपतः कार्यवाही कर शीघ्रतापूर्वक निस्तारित किया जाता है एवं संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय एवं अन्य वनकर्मों सहायक वन संरक्षक के आदेशों का पूर्ण निष्पक्ष एवं अनुशासन से अनुपालना करते हैं।
- (ii) निरीक्षण अधिकारी द्वारा यह पाये जाने पर कि सहायक वन संरक्षक ने कार्यवाही करने में अवांछित विलम्ब किया है तो उसके विरुद्ध तत्काल नियम 17 सीसीए (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमों के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
- (iii) सहायक वन संरक्षक द्वारा कार्यवाही में दो माह से अधिक का समय लगने के कारण अतिक्रमण जारी रहने के प्रकरणों में संबंधित सहायक वन संरक्षक द्वारा वन भूमि को गैर वन भूमि के लिए उपभोग होने देने के अवैध कार्य को बढावा देने (Abet करने) का कृत्य मानते हुए ऐसे सहायक वन संरक्षक के विरुद्ध धारा-3बी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन कार्यवाही का प्रकरण तैयार कराया जाता है।
- (iv) सहायक वन संरक्षक द्वारा मण्डल वन अधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य लाये जाने पर कि किसी क्षेत्रीय / वन कर्मों द्वारा अतिक्रमण हटाने के कार्य में उसके निर्देशों

की पालना नहीं की जा रही है या अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे क्षेत्रीय / वन कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अवश्य की जाती है।

- (v) उन सभी सहायक वन संरक्षकों, जिन पर वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में विधिक कार्यवाही करने का दायित्व है, के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि प्रतिवेदित अधिकारी ने वन संरक्षण/वन्यजीव संरक्षण के वैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु वैधानिक दायित्वों को निस्तारित करने में समयबद्धता एवं प्रभावी कार्यवाही की दृष्टि से कैसा कर्तव्य निष्पादन किया है।


वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में नीचे वर्णित निम्न श्रेणी के उपरोक्त समयबद्ध कार्यवाही के बजाय निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. यदि प्रकरण किसी न्यायालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया है तो ऐसे स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने के प्रयास किये जावे और स्थगन आदेश निरस्त होने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे।
2. यदि अतिक्रमण का प्रकरण वन अधिकार अधिनियम के अधीन विचाराधीन है तो उसे शीघ्र निर्णय करने का आग्रह किया जावे एवं निर्णय को देखकर जैसी स्थिति बनती हो उसके अनुसार कार्यवाही की जावे।
3. जहां वन भूमि पर पुरानी बस्तियां बसी हुई हैं उन मामलों को संकलित कर राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जावे।

  
(डॉ.वी.एस.सिंह) 2/5/12  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर। अपर वन के एकरूपता में सुधार के लिए
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE), राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक।
8. समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक।
9. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
10. समस्त उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी।
11. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव (वन)